2–आसमोहम्मद
3–इब्राहीम पिसरान रहमान जाति मेव निवासी खेड़लीगुमानी तहसील कामां

बनाम — अपीलान्ट

1–ग्राम पंचायत गांवडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गांवडी तहसील कामां
2–आलू पुत्र नन्नू जाति मेव निवासी ग्राम गांवडी तहसील कामां

3–उस्मान — प्रधान रेस्पोडेन्टस
4–शहीद
5–साहिल पिसरान हकलू जाति मेव निवासी ग्राम खेड़लीगुमानी

प्रोफार्मा रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट
विरुद्ध खारिज नं0 446 दिनांक
20.04.2013

निर्णय

दिनांक – 19.07.2023

अपील अपीलान्ट हनीफ,आसमोहम्मद,इब्राहीम पिसरान रहमान जाति मेव निवासी खेड़लीगुमानी तहसील कामां द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 भू0रा0 अधिनियम के तहत दाखिल खारिज नं0 446दिनांक 20.4.2013 पेश कर निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 18/0.18, 96/0.18, व खसरा नम्बरान 18/0.18, 114/0.18 वाके ग्राम रसूलपुर तहसील कामां का प्रार्थना पत्र पेश किया है । कि आराजी खसरा नम्बर 18/0.18, 96/0.18 व खसरा नम्बरान 18/0.18, 114/0.18 वाके ग्राम रसूलपुर जो कि पूर्व में हकलू पुत्र ... पिता रैस्पोडेन्टस संख्या 3,4,5 व अपीलान्टस हनीफ, आसमोहम्मद, इब्राहीम पिता रहमान के कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी थी । जिसका बयान निस्फ हिस्सा यानि ग्राम गांवडी को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 7.03.2013 को मुबलिग 13600 रुपये बयनामा उपपंजीयक कामां के यहां पर तहरीर कराकर तस्दीक करा दिया था तथा आराजी मु0 का निस्फ हिस्सा हकलू पिता रैस्पोडेन्टस संख्या 3,4,5 हनीफ, आसमोहम्मद, इब्राहीम अपीलान्ट के पास रहा जिसे वे अपने अपने हिस्से के मुताबिक खातेदार काश्तकार के रूप में काश्त करते रहे है और आज भी मौके पर आराजी मु0 के निस्फ हिस्सा पर अपीलान्ट व रैस्पोडेन्टस संख्या 3,4,5 का कब्जा काश्त है । रैस्पोडेन्ट संख्या 2 ने आराजी मु0 नम्बरान के निस्फ हिस्से को खरीद किया था तथा निस्फ हिस्से का ही बयनामा अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 5 के पिता हकलू से दिनांक 7.3.2023 को तस्दीक कराया था लेकिन हल्का पटवारी से सहवन भूल से सम्पूर्ण हिस्से का नामान्तकरण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया और उसी आधार पर ग्राम पंचायत गांवडी ने बिना जांच करे रैस्पोडेन्ट संख्या 2 को आराजी मु0 का इन्द्राज सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी का इन्तकाल नम्बर 446 दिनांक 20/04/2013 के आधार पर गलत

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (भरतपुर) राज०